राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2021/1485 दिनांक 28/03/2022

परिपत्र

प्रायः देखने में आया हैं कि विभिन्न नगर पालिका /परिषद / मण्डल /नगर निगम के माध्यम से अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितिकरण से संबधित विभिन्न न्यायालयों के प्रकरण निदेशालय को प्राप्त हो रहे है, साथ ही कई नगर पालिका/परिषद/मण्डल के द्वारा स्वमं के स्तर से ही बोर्ड मीटिंग के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदित कराते हुए माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना कर अनियमित रूप से नियुक्ति कार्मिकों को नियमित कर ऐसे प्रकरणों में वर्षो उपरांत (उक्त कार्मिक के पेंशन के समय) निदेशालय स्तर से नो अपील हेतु प्रमाण पत्र चाहा जाता है।

इस संबध में अनियमित रूप से नियुक्ति कार्मिकों के नियमितिकरण हेतु निदेशालय द्वारा दिनांक 02.11.2011, 27.01.2011 एंव 16.05.2011 को अधिसूचना जारी की गई है तथा उक्त अधिसूचना अनुसार प्रत्येक निकाय स्तर पर निम्नानुसार स्क्रीनिंग कमैटी गठित हैः–

1-	Chairperson of the Municipality.	Chairperson
2-	Deupty Director(Regional).	Member
3-	Chief Municipal officer of the Municipality.	Member Secretary

अतःसमस्त अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त नगर पालिका/ परिषद/ मण्डल / नगर निगम को निर्देशित किया जाता है कि अनियमित रूप से नियुक्ति कार्मिकों के नियमितिकरण की कार्यवाही केवल उक्तानुसार गठित स्क्रीनिंग कमैटी के माध्यम से करावें तथा किसी भी सूरत में निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के माध्यम से नही कराया जाना सुनिश्चित करे,अन्यथा उक्त लापरवाही के लिये संबधित निकाय के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त व्यक्तिशः जिम्मेदार होगे। इसके अतिरिक्त समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) को निर्देशित किया जाता है कि उनके परिक्षेत्र में ऐसे नियमितिकरण हेतु लंबित प्रकरणों का निस्तारण संबधित निकाय के माध्यम से यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करते हुए लंबित याचिका/अवमानना प्रकरण में जबाव प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न– अधिसूचना दिनांक 02.11.2011, 27.01.2011 एंव 16.05.2011

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एंव विशिष्ट शासन सचिव

F/ALR/ALR letters

क्रमांकःप.8(ग)(नियम)(   )/डीएलबी/2022/ 1586-1745 दिनांक 28/03/2022

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सहायक,शासन सचिव महोदय,स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर।
2. निजी सहायक,निदेशक महोदय,निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त---------------- को पालनार्थ।
4. अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त नगर पालिका/ परिषद/ मण्डल / नगर निगम समस्त-------------------------- को पालनार्थ।
5. ए.सी.पी. कम उप निदेशक,आई.टी. शाखा,निदेशालय को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
6. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी